



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷிண் பாரதத் ராஷ்ட்ரமத் | தினகரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित



4 द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 25 के माध्यम से में आईफा जैसे आयोजनों के लिए बनेंगी संभावनाएं

6 संघ की राय के बाद अध्यक्ष का नाम तय!

7 म्यूनिख की सड़क पर अनुपम खेर ने गाया गाना

फ़र्स्ट टेक

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे

नई दिल्ली/भाषा। न्यायापालिका में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने पदभार ग्रहण करते ही सार्वजनिक तौर पर अपनी संपत्ति की घोषणा करने पर सहमति जताई है। पूर्ण पीठ की एक बैठक में शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्णय लिया और इसका विवरण उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर कहा गया है कि संपत्ति की घोषणा करना रवैच्छिक आधार पर होगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना सहित उच्चतम न्यायालय के 30 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की घोषणा प्रस्तुत की है।

नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय वारंट के बावजूद बुडापेस्ट पहुंचे, हंगरी बोला-आईसीसी से अलग होंगे बुडापेस्ट/एपी।

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुधरूपतिवार तड़के हंगरी की राजधानी पहुंचे जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हालांकि विश्व की शीर्ष युद्ध अपराध अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। नवंबर में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया था जिसके बाद से यह इजराइली प्रधानमंत्री की दूसरी विदेश यात्रा है। जैसे ही नेतन्याहू बुडापेस्ट पहुंचे, हंगरी ने कहा कि वह आईसीसी से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

तेलंगाना में पेड़ों की कटाई के मामले में किसी भी गतिविधि पर रोक

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना सरकार से हैदराबाद विश्वविद्यालय के बगल में स्थित भूखंड पर लगे बड़े वृक्षों को हटाने की 'मजबूरी' के बारे में स्पष्टीकरण मांगा तथा अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी। राज्य में पेड़ों की कटाई को "बहुत गंभीर मामला" बताते हुए न्यायमूर्ति जी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा उसके समक्ष पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट "चिंताजनक तत्वीर" पेश करती है। रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि बड़ी संख्या में



कटुआ में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान 12वें दिन भी जारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर के कटुआ में तीन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कई एजेंसियों द्वारा शुरू किया गया तलाशी अभियान बृहस्पतिवार को लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान से घुसपैठ कर भारतीय सीमा में दाखिल हुए आतंकवादी कटुआ के घने जंगलों में छिपे हुए हैं।

सुरक्षा एजेंसियां भी आतंकवादियों के समर्थकों पर नकेल कस रही हैं और घात लागाकर

हमले कर रही हैं। बहु-स्तरीय घेराबंदी को मजबूत करने तथा क्षेत्र में छह-सात किलोमीटर के दायरे में घात लगाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकार्मियों को तैनात किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, “सुरक्षा एजेंसियों का तलाशी अभियान जारी है। यह भाग रहे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जारी है।”

तलाशी अभियान को हवाई निगरानी के साथ तेज कर दिया गया, जिसमें हेलीकॉप्टरों, यूएवी और खोजी कुत्तों का उपयोग भी शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), पुलिस, विशेष अभियान समूह (एसओजी), केंद्रीय

रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संयुक्त दल पूरे क्षेत्र की तलाशी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुर्गम इलाकों और घने जंगली इलाकों में अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी ऊपरी इलाकों की ओर भाग न सकें। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों को समर्थन देने वाले भूमिगत नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां ओजीडब्ल्यू पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और पहाड़ियों में भोजन, आभूषण और मार्गदर्शन की आपूर्ति को रोकने के लिए उन पर कार्रवाई कर रही हैं।

बीएसएनएल लाभप्रद निकाय बनने और ग्राहक संतुष्टि के पथ पर अग्रसर: सिंधिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को सूचित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल लाभप्रद निकाय बनने और ग्राहकों को संतुष्टि देने के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि कंपनी को 18 साल बाद पहली बार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है और पिछले छह महीनों में 55 लाख उपयोगकर्ता जुड़े हैं।

उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते सिंधिया ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी को लाभप्रद स्थिति में लाने और इसके ग्राहक आधार में सुधार करने के प्रयास जारी हैं। सिंधिया ने राज्यसभा को बताया, “18 साल बाद, बीएसएनएल ने पहली बार अक्टूबर-दिसंबर



मुख्यमंत्री ने जारी की राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की है। यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएगी और राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यहां लगने वाले उद्योग लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन लागत को कम रखते हुए निर्यात के साथ-साथ स्थानीय मांग को भी बखूबी

पूरा कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा करते हुए, हमारा राज्य देश के लगभग 40 प्रतिशत बाजार तक पहुंच सकता है। यह भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों के बीच प्रमुख बुनियादी ढांचे की सुविधा के रूप में उद्योगों को कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान में ही है। इसके अलावा 9 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट और एक एयर कर्मा कोम्प्लेक्स हमें लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाते हुए उद्योगों को



भी आगे बढ़ने के भरपूर अवसर प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा जारी राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 में राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इनमें कई तरह की विशेष छूट और अनुदान शामिल हैं। वेयरहाउस, साइडलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट

स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क इत्यादि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक इलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (ईएफसीआई) की 25 प्रतिशत तक कैपिटल सस्सेडी दस वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास करने वाले निवेशकों को भी विशेष रियायतें दी गई हैं। निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीक



यदि आप सभी त्रुटियों के लिए दरवाजा बंद कर दोगे, तो सच्चाई बंद हो जाएगी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

हेरफेर का अंबार

उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराए जाने का फैसला तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। दर्जनों याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने जो टिप्पणी की, उससे संपूर्ण चयन प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। शिक्षा जैसे अत्यंत सम्मानजनक एवं पावन क्षेत्र में इतनी धांधली! जब प्रक्रिया ही त्रुटिपूर्ण थी तो चुने गए शिक्षकों ने कैसे पदाई कराई होगी? उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? न्यायालय का फैसला आते ही उन शिक्षकों के घरों में कैसा माहौल होगा? जो कल तक स्कूलों में सरकारी नौकरी कर रहे थे, आज बेरोजगार हो गए! अब उनका गुजारा कैसे चलेगा? न्यायालय ने तो न्याय किया है, उन नेताओं और अधिकारियों ने क्या किया, जिन पर चयन प्रक्रिया की पवित्रता और विश्वसनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी? जब चयन प्रक्रिया में इतनी गलतियाँ थीं तो उच्चतम न्यायालय में इसके पक्ष में तर्क कितनी देर तक टिकते? इसमें जिस स्तर पर गड़बड़ी हुई, उसका अंदाजा प्रधान न्यायाधीश के इन शब्दों से लगाया जा सकता है, ‘हमारे विचार में यह ऐसा मामला है, जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। बड़े पैमाने पर हेरफेर और धोखाधड़ी के साथ-साथ मामलों को छिपाने के प्रयासों ने चयन प्रक्रिया को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता।’ इस चयन प्रक्रिया ने समाज को दोहरा नुकसान पहुंचाया है। एक ओर तो इसने उन लोगों का हक मारा, जो सरकारी शिक्षक बनने के योग्य थे। अगर उन्हें नियुक्ति मिलती तो वे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते। वहीं, हेरफेर और तमाम त्रुटियों के बावजूद जो लोग अब तक नौकरी करते रहे, उनका भविष्य अनिश्चितता के भंवर में फँस गया है। अमान्य घोषित किए गए हर कर्मचारी पर घर-परिवार के तीन-चार सदस्यों की जिम्मेदारी तो होगी ही। स्पष्ट है कि इस फैसले से एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे।

यह गनीमत समझें कि फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ‘जिन कर्मचारियों की नियुक्तियाँ रद्द की गई हैं, उन्हें अब तक अर्जित वेतन और अन्य भत्ते वापस करने की जरूरत नहीं है।’ अगर यह राशि वापस लौटानी पड़ती तो इन लोगों के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो जाती। हालाँकि मुसीबतें अब भी कम नहीं हैं। सरकारी नौकरी लगने के बाद हर महीने बढ़िया वेतन आ रहा था। खास तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा थी। अब ये दोनों चीजें जाती रहें। अगर भविष्य में फिर ऐसी नौकरी हासिल करना चाहेंगे तो संघर्ष कम नहीं है। देश में पहले ही इतनी बेरोजगारी है। सवाल है- क्या इस स्थिति को टाला जा सकता था? जवाब है- बिल्कुल टाला जा सकता था, बशर्ते कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाते। अगर इसमें पारदर्शिता बरती जाती, छेड़छाड़ न होती, अनियमितताओं को दूर रखा जाता तो कोई विवाद ही न होता। उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा के निशाने पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत



सम्मान

सीआईएसएफ बेंगलूर मुख्यालय के आईजीपी व राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जोस मोहन से बेंगलूर के प्रवासी राजस्थानी कर्नाटक संघ के महामंत्री जयरीलाल लुनावत व राजेश गुलेच्छा ने उनके यलहंका स्थित कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की तथा उनका सम्मान किया। ज्ञातव्य है कि जोस मोहन के पास लगभग 35 एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है।

एक शाम मां दधिमति के नाम आज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



चेन्नई। यहां साहूकारपेट के मां दधिमति सेवा धाम में चैत्र नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से चल रहा है। प्रतिदिन सुबह मां का दुग्धाभिषेक, अर्चना, श्रृंगार आरती, संध्या एवं शयन आरती आदि का आयोजन हो रहा है। नवरात्रि में सप्तमी के मौके पर विशेष भजन संध्या मा आयोजन 4 अप्रैल को किया जा रहा है। राजस्थान के भजन कलाकार चिंदू दाधीच, जोधपुर अपनी मधुर वाणी से भजनों की प्रस्तुति कर माता रानी के चरणों में भेंट करेंगे।

अष्टमी के दिन श्री दधिमती महिला मंडल द्वारा मां दधिमती का मंगल पाठ होगा। इस महोत्सव में समाज के सदस्यों के साथ अनेक भक्तगण शामिल हो रहे हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

गीता सार पर 18 दोहे

1. उत्तम सोच विचार से, मिट जाता है क्लेश। जीवन में अपनाइए, गीता का संदेश ॥
2. सार्थक शिक्षा से सदा, मिलता है निष्कर्ष। उसके अंदर ही छिपा, होता है उत्कर्ष ॥
3. कर्म किए जा बेधड़क, फल पर मत दे ध्यान। जिसके हम हकदार हैं, वो देंगे भगवान